न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1086 / 2024
अनवान : –

1. समेस्ता पत्नी सत्यवीर सिंह जाति जाट निवासी बोझला तहसील भादरा।

– **वादीया**

बनाम्

1. प्रियंका पत्नी अनील कुमार जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर।
2. योगराज सिंह पुत्र भैराराम जाति जाट साकिन डूमासर तहसील नोहर।
3. बलविन्द्र पुत्र भैराराम जाति जाट साकिन डूमासर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादीया**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः – 19/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 237 / 235 की कुल 6.0700 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वादीया व प्रतिवादीगण की खरीद शुदा भूमि है वादीया व प्रतिवादीगण का वाद भूमि बाबत बाहमी राजीनामा इस आशय का हुआ है कि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 237 / 235 के ख0न0 210 / 1 की 6.0700 हैक्ट भूमि में से 3.793 हैक्ट भूमि में 506 / 3035 हिस्सा भूमि वादीया के व 2781 / 6070 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के पास पश्चिमी पासा की रहेगी व रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 237 / 235 के ख0न0 210 / 2 की 6.0700 हैक्ट भूमि में से 2.277 हैक्ट भूमि में से 2277 / 12140 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 2277 / 12140 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के पास पूर्वी तरफ की भूमि रहेगी। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि मुताबिक बाहमी बंटवारा भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:53:58 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वादी मुताबिक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वादीया व प्रतिवादीगण की खरीद शुदा भूमि है वादीया व प्रतिवादीगण का वाद भूमि बाबत बाहमी राजीनामा इस आशय का हुआ है कि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 237/235 के ख0न0 210/1 की 6.0700 हैक्ट भूमि में से 3.793 हैक्ट भूमि में 506/3035 हिस्सा भूमि वादीया के व 2781/6070 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के पास पश्चिमी पासा की रहेगी व रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 237/235 के ख0न0 210/2 की 6.0700 हैक्ट भूमि में से 2.277 हैक्ट भूमि में से 2277/12140 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 2277/12140 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के पास पूर्वी तरफ की भूमि रहेगी। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 237/235 की कुल 6.0700 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वाद भूमि वादीया व प्रतिवादीगण की खरीद शुदा भूमि है वादीया व प्रतिवादीगण का वाद भूमि बाबत बाहमी राजीनामा इस आशय का हुआ है कि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 237/235 के ख0न0 210/1 की 6.0700 हैक्ट भूमि में से 3.793 हैक्ट भूमि में 506/3035 हिस्सा भूमि वादीया के व 2781/6070 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के पास पश्चिमी पासा की रहेगी व रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 237/235 के ख0न0 210/2 की 6.0700 हैक्ट भूमि में से 2.277 हैक्ट भूमि में से 2277/12140 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 2277/12140 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के पास पूर्वी तरफ की भूमि रहेगी। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया गया है कि वाद [illegible] मुताबिक [illegible] डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज [illegible] सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:53:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 237/235 के ख0न0 210/1 की 6.0700 हैक्ट भूमि में से 3.793 हैक्ट भूमि में 506/3035 हिस्सा भूमि का वादीया को व 2781/6070 हिस्सा भूमि का प्रतिवादीया संख्या 1 को पश्चिमी पासा की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 237/235 के ख0न0 210/2 की 6.0700 हैक्ट भूमि में से 2.277 हैक्ट भूमि में से 2277/12140 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को व 2277/12140 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को पूर्वी तरफ की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:53:58 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1086/2024

अनवान : –

1. समेस्ता पत्नी सत्यवीर सिंह जाति जाट निवासी बोझला तहसील भादरा।

– **वादीया**

बनाम्

1. प्रियंका पत्नी अनील कुमार जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर।
2. योगराज सिंह पुत्र भैराराम जाति जाट साकिन डूमासर तहसील नोहर।
3. बलविन्द्र पुत्र भैराराम जाति जाट साकिन डूमासर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1086 सन 2024 निर्णय दिनांक –19/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 237/235 के ख0न0 210/1 की 6.0700 हैक्ट भूमि में से 3.793 हैक्ट भूमि में 506/3035 हिस्सा भूमि का वादीया को व 2781/6070 हिस्सा भूमि का प्रतिवादीया संख्या 1 को पश्चिमी पासा की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 237/235 के ख0न0 210/2 की 6.0700 हैक्ट भूमि में से 2.277 हैक्ट भूमि में से 2277/12140 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को व 2277/12140 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को पूर्वी तरफ की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:53:58 IST
Reason: SelfAttested